अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

0–99/2021 धारा–144 द०प्र०सं०

बासुदेव पंडित वगै० –बनाम– सोना पंडित वगै०

अभियुक्ति

–:आदेश:–

आवेदक बासुदेव पंडित द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मौजा गुडियों थाना बरही जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0–71/40, प्लौट सं0 1551/1644 रकबा 3 ए0, जिसकी चौहदी उ0–रेवा रविदास द0–जीतन कुम्हार, पू0–प्रथम पक्ष, प0–मरन रविदास वाली भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर उनसे अपना–अपना कारण पृच्छा एवं भूमि संबंधी कागजात मांग की गयी। नोटिस तामिला अभिलेख में उपलब्ध है।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष ने अपना कारण पृच्छा दाखिल किया जिसमें इन्होनें कहा कि मौजा गुडियों थाना बरही जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0–71/40, प्लौट सं0 1551/1644 रकबा 3 ए0, वाली भूमि खागो कुम्हार एवं रीझो कुम्हार के नाम से बंदोबस्ती से हासिल है, जो प्रथम पक्ष के दादा हुए जिनके नाम से सरकारी रसीद हासिल हो रहा है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर दादा काल से शांतिपूर्ण दखल कब्जे में चले आ रहे है जिस पर विपक्षी का कभी दखल कब्जा नहीं रहा है। विपक्षीगण द्वारा इस भूमि को दबंगता के बल पर हडपने पर उतारू है। प्रश्नगत भूमि और द्वितिय पक्ष द्वारा कि गई ब्रिकी कि भूमि दोनों अलग–अलग है जो खाता न0 71 और प्लॉट न0 1551 में आता है,प्लॉट न0 1551 में 300 ए0 से भी अधिक जमीन है,तथा भिन्न–भिन्न लोगों को चौहदी के आधार पर प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि और ब्रिकी कि गई भूमि कि चौहदी अलग–अलग तथा जिसका रकवा भी अलग–अलग है विवादित भूमि का रकवा 03 ए0 है जबकि ब्रिकी की जमीन का रकवा 2.92 ए0 है और दोनों जमीन का रशीद अलग–अलग है।

द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल किया जिसमें इन्होनें कहा कि प्रथम पक्ष के आवेदन मे लिखा गया है कि खाता न0 71/40 प्लॉट न0 1551 रकवा 3 ए0 साकिन गुडियों थाना बरही जिला हजारीबाग में अवस्थित है जो जमीन खागो कुम्हार एवं रीक्षों कुम्हार के नाम से बंदोबस्ती से हासिल है,परन्तु खाता न0 71/40 प्लॉट न0 1551/1644 रकवा 2.92 ए0 साकिन गुडियों की जमीन प्रथम पक्ष के दादा खागो कुम्हार वल्द उतीम कुम्हार ने लेख्यधारीगण 1.जीतन महतो पिता दिपन महतो 2. मो0 ललीया 3.रामेश्वर महतो वल्द कमल महतो 4.कासी महतो वल्द इन्द्र महतो 5. केसर महतो वल्द इन्द्र महतो सभी साकिन गुडियों थाना बरही जिला हजारीबाग के पास केवाला द्वारा ब्रिकय किये है,जिसका केवाला न0 2130 दिनांक 06.08.1968 है। द्वितिय पक्ष को न्यायालय से निंगत पत्र प्राप्त होने के पश्चात जानकारी हुई है। प्रश्नगत भूमि पर ना तो प्रथम पक्ष और ना ही द्वितिय पक्ष को कोई मतलब है,प्रथम पक्ष सिंफ द्वितिय पक्ष को परेशान करने के उददेश्य से वाद को लाया गया है।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा तथा संलग्न कागजात का अवलोकन के बाद एवं दोनों पक्षों के बयान तथा विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचती हुँ कि अस वाद में 60 दिनों कि अवधि पूर्ण हो चुका है तथा दोनों पक्षों में सहमति हो जाने के कारण किसी तरह के विधि–व्यवस्था भंग होने की संभावना नहीं है। उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ अस्पष्टता (vagueness) के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:41:47 +05:30
Location: 192.168.101.22